[illegible] विद्वान अधिवक्ता [illegible]
[illegible] के विचाराधीन भी विपक्षी प्रतिवादी
ने कुछ इत्तलाबेलात प्रस्तुत करते हुए
कहा कि प्रश्नगत आराजी पर
अदायगी कार्य करने पर सीलिंग के
विरुद्ध तहसीलदार ने धारा 177-78
R.T.A.C. में वाद दायर किया
गया था जिसमें कार्य राशि
के अदायगी कार्य कर भूमि का
कब्जा मिलने पर वाद राजस्व
में लिया चल रहा है जिसका
का अनुतोष चाहा गया, वहीं विपक्षी
प्रतिवादी ने कहा है कि वर्तमान
स्थान इलाहाबाद की ख० नं० 1616 रकबा
2 बीघा 19 बिस्वा, 1619 का रकबा
1 बीघा 14 बिस्वा एवं ख० नं० 2884/1617
रकबा 01 बीघा कुल 3 बीघा 19
बीघा 13 बिस्वा में से आयुक्त
नगर पालिका इलाहाबाद ने कुछ अधिग्रहण
किया 5681 एमाउ 2513/15 का रकबा
कुल भूमि से 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी
का आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
उपावर्तित करवा लिया गया है
कि श्री प्रश्नगत आराजी के कार्य
भूमि नहीं रही है वहीं प्रतिवादी का
कहना था। कब्जा का अवलोकन भी
कब्जा में अलगाव/लेश किये गये

P.T.O

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज०)

दिनांक हुक्म	कार्यवाही
	दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रतिवादी के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकि प्रकरण आराजी कृषि भूमि से अकृषि भूमि में नियमानुसार परिवर्तित की चुकी है अतः तहसीलदार झालावाड़ द्वारा पारित आदेश चलने योग्य प्रतीत नहीं होता अतः वाद खारिज किया जाता है वादकर्ता फैसले में मुआवजा लेकर वाकील तहसील डाबिल पक्षकार है

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.01 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: